न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी 2020-I-15

प्रकरण कमांक / /2015 निगरानी

राजेन्द्र प्रसाद बहोरे पुत्र नाथूराम बहोरे
निवासी मजना तहसील टीकमगढ़
जिला टीकमगढ़, म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्व

1--रमेश चंद पुत्र किशोरी लाल जैन
निवासी ग्राम मजना तहसील व जिला
टीकमगढ म0प्र0 ----असल अनावेदक

2--म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ
---तरतीवी अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 – राजस्व निरीक्षक वृत्त टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 168 अ 12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 14–11–14 के विरूद्व)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के कारण

यह कि अनावेदक क–1 ने एक आवेदन ग्राम मजना स्थित भूमि सर्वे कमांक 531 रकबा 0.028 हैक्टर के सीमांकन हेतु आवेदक को जानकारी एंव सूचना दिये बिना तहसील टीकमगढ़ में प्रस्तुत किया, जिस पर से राजस्व निरीक्षक टीकमगढ़ ने तथा हलका पटवारी ने आवेदक को व्यक्तिगत सूचना दिये बिना एंव मौके पर बुलाये बिना दिनांक 14–11–14 को गलत सीमांकन कर दिया, जबकि आवेदक के पिता एंव उनके पिता Grand father के जमाने से रिहायशी मकान बना हुआ है एंव आवेदक के खेत एव अनावेदक क–1 के खेत की मेड़ (खेत औजार, मवेशी निकाले जाने हेतु रास्ते वाली मेढ़) बनी हुई है जिसे राजस्व निरीक्षक ने अतिकमण होना बता दिया। अनावेदक के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2020-एक/2015 जिला टीकमगढ़ राजेन्द्र विरूद्ध रमेश व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 168/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14-11-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3 01/2/19 (आर.के. जैन) सदस्य	